



**कार्यालय :- प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची**

वन मंत्री, डोरण्डा, राँची

E-mail :- pccf-development@gov.in, Phone No. 0651-2481813



पत्रांक : 01 / यो0बजट-16/2019- 995 दिनांक : 18/10/19

प्रेषक,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची ।

सेवा में,

वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
खूँटी वन प्रमण्डल / लोहरदगा वन प्रमण्डल / गुमला वन प्रमण्डल /
सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, चाईबासा ।

विषय :-

वित्तीय वर्ष 2019-20 में कार्यान्वित की जाने वाली "अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण" योजना (जनजातीय क्षेत्र उपयोजन) के अंतर्गत वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं अवकृष्ट वनों का पुनर्वास का अग्रिम कार्य हेतु कुल रु0 225.256 लाख (दो करोड़ पच्चीस लाख पच्चीस हजार छः सौ रुपये) मात्र राशि का ऑन लाईन उप आवंटन (Online Sub Allotment) ।

प्रसंग:-

विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 4 / यो0ब0-27 / 2019-09 / स्वी0 व0प0 दिनांक 18.06.2019 एवं वन विभागीय आवंटन आदेश संख्या 04 / यो0बजट-27 / 2019-61 / आ0 व0प0 दिनांक 28.06.2019 ।

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में बजट मुख्य शीर्ष 2406-वानिकी तथा वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष-01 वानिकी, लघु शीर्ष-796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, उप शीर्ष-58-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2019-20 में उपबंध के अंतर्गत स्वीकृत राशि में कुल रु0 225.256 लाख (दो करोड़ पच्चीस लाख पच्चीस हजार छः सौ रुपये) मात्र का उप आवंटन निम्नलिखित इकाईयों में किया जाता है:-

प्राथमिक इकाई	विपत्र कोड	(राशि लाख में)
मजदूरी	19S240601796580103	162.598
आपूर्ति एवं सामग्री	19S240601796580323	62.658
कुल :-		225.256

2. इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अनुलग्नक-1 (क) एवं (ख) पर वर्णित वन प्रमण्डल पदाधिकारी होंगे जो अपने समुख अंकित कार्यों की राशि से अपने-अपने कार्यालयों के कार्यों के लिए उत्तरदायी होंगे एवं विभाग को ससमय भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित करेंगे। कार्यदर अनुलग्नक-2 (क) एवं (ख), स्थल विवरणी अनुलग्नक-3 (क) एवं (ख) तथा ऑन लाईन उप आवंटन की प्रति अनुलग्नक-4 पर द्रष्टव्य है।

3. इस योजना का कोड संख्या-19S240601796580103, 19S240601796580323 है, जो कोषागार से राशि निकासी के लिए प्रस्तुत विपत्रों एवं व्यय प्रतिवेदन में अनिवार्य रूप से अंकित किया जाएगा।

4. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड होंगे, जिनके मार्गदर्शन में प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास के द्वारा योजना कार्यान्वयन का सतत अनुश्रवण सुनिश्चित किया जायेगा। योजनान्तर्गत प्रत्येक माह हेतु निर्धारित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य के विरुद्ध प्रगति से वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को अवगत कराया जायेगा।

5. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा योजना का सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के द्वारा कार्यान्वयनाधीन योजनाओं का नियमित निरीक्षण करते हुए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्य सम्पन्न कराया जायेगा तथा प्रत्येक माह की पाँच तरीख तक अपने नियंत्री पदाधिकारी को वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन समर्पित किया जायेगा।

6. स्वीकृत राशि की निकासी वित्त विभागीय पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.1998 एवं समय-समय पर एतद संबंधी निर्गत परिपत्रों के आलोक में किया जायेगा।

7. राशि की निकासी संबंधित जिलों में अवस्थित कोषागार/ उप कोषागार से की जायेग तथा झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 174 एवं सभी वित्तीय नियमों का अनुपालन दृढ़तापूर्वक किया जायेगा।

8. योजना का कार्यान्वयन स्वीकृत स्थल विशेष प्राक्कलन, प्रदत्त तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति के अनुरूप किया जायेगा।

9. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में स्वीकृत राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा तथा वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य निर्धारित अधिसीमा से कम नहीं हो।

10. मजदूरी का भुगतान श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित अद्यतन दर के अनुरूप किया जायेगा। मजदूरी मद में स्वीकृत राशि का व्यय योजना के परिमाणकों के अंतर्गत एवं निर्धारित मजदूरी दर के अनुरूप वार्तविक व्यय तक सीमित रखना सुनिश्चित किया जायेगा।

11. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अंतर्गत मजदूरी मद में मजदूरों को भुगतान की जाने वाली राशि का भुगतान मजदूरों के बैंक खाते/ डाक घर खाते के माध्यम से ही किया जायेगा। साथ ही सामग्री के भुगतान में विभागीय पत्रांक 1204 दिनांक 20.03.2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

12. नियंत्री तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे देखें कि यदि कोई ऐसी योजना का कार्य के विरुद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसे दूसरे स्त्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, तो इसकी निकासी रोकर इसके निराकरण हेतु सूचना संबंधित पदाधिकारी या विभाग को तुरंत देंगे।

13. योजनाओं में सामग्री का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देश एवं वित्तीय नियमों तथा वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प संख्या-940 दिनांक 16.03.1992 द्वारा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की अनुशंसाओं के अनुसार किया जायेगा।

14. इस योजनान्तर्गत वानिकी कार्यों का सम्पादन विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निहित प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकार से अनुमोदित दर पर

किया जायेगा तथा योजनान्तर्गत किये जाने वाले ऐसे कार्य जिनका दर विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के कार्यक्षेत्र से बाहर है, की दर का निर्धारण योजना के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा वित्त विभाग की निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप किया जायेगा।

15. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation समय निश्चित रूप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा। साथ ही Account Code Vol (III) की धारा 297 के प्रावधानों के अनुरूप सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संवितरकों के खाते का मासिक सार (60P) वन संरक्षक/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, सामाजिक वानिकी/अन्य नियंत्री पदाधिकारी के माध्यम से महालेखाकार को समर्पित कराना सुनिश्चित करायेंगे।

16. स्वीकृत राशि का भुगतान वित्त विभागीय पत्रांक 3542 दिनांक 19.12.2013 में निरूपित प्रावधानों के अनुरूप किया जायेगा।

17. वन प्रमण्डल पदाधिकारी, लोहरदगा वन प्रमण्डल के लिए वन भूमि पर वृक्षारोपण का अग्रिम कार्य हेतु स्वीकृत 50 हेक्टर स्थल के विरुद्ध मात्र 30 हेक्टर का ही स्थल प्राप्त हुआ है एवं अवकृष्ट वनों का पुनर्वास कार्य हेतु स्वीकृत स्थल के विरुद्ध गुमला वन प्रमण्डल से 15 हेक्टर स्थल अप्राप्त है। स्वीकृत भौतिक लक्ष्य के अनुरूप राशि उप आवंटित की जा रही है। दोनों वन प्रमण्डल पदाधिकारियों को निदेश दिया जाता है कि वे स्थल चयन समिति से स्थल का अनुमोदन करकार इस कार्यालय को उपलब्ध कराने के उपरान्त ही राशि का व्यय करेंगे।

अनुलग्नक :— यथोक्त ।

विश्वासभाजन,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक— 01 / योवजट—16/2019—995 दिनांक—18/10/19

प्रतिलिपि :— अनुलग्नक सहित अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक, प्रसार वानिकी, दक्षिणी छोटानागपुर, राँची/ क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, राँची/ वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, राँची/ गुमला/ एनवीस सेन्टर, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :— यथोक्त ।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक— 01 / योवजट—16/2019—995 दिनांक—18/10/19

प्रतिलिपि :— अनुलग्नक सहित कोषागार पदाधिकारी, खूंटी/ लोहरदगा/ गुमला/ चाईबासा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :— यथोक्त ।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

अनुलग्नक-1 (क)

वित्तीय वर्ष 2019-20 में कार्यान्वित की जाने वाली “अधिसूचित वनमूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण” योजना (जनजातीय क्षेत्र उपयोजना) के अंतर्गत वनमूमि पर वृक्षारोपण (1666 पौधा प्रति हेक्टेक्टर) का अग्रिम कार्य के लिए प्रमण्डलवार उप आवंटित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य (मजदूरी दर : रु0 249.83 प्रति मानव दिवस)

(राशि लाख में)

क्र. सं.	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	भौतिक लक्ष्य (हेक्टेक्टर में)	(अग्रिम कार्य)		
			मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल राशि
			42184.38	15921.74	58106.12
i	ii	iii	iv	v	vi
1	खँटी वन प्रमण्डल	100	42.184	15.922	58.106
2	लोहरदगा वन प्रमण्डल	50	21.092	7.961	29.053
3	साठवाठ प्रमण्डल, चाईबासा	50	21.092	7.961	29.053
योग :-		200	84.368	31.844	116.212

अनुलग्नक-1 (ख)

वित्तीय वर्ष 2019-20 में कार्यान्वित की जाने वाली “अधिसूचित वनमूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण” योजना (जनजातीय क्षेत्र उपयोजना) के अंतर्गत अवकृष्ट वनों का पुनर्वास (1000 पौधा प्रति हेक्टेक्टर) का अग्रिम कार्य के लिए प्रमण्डलवार उप आवंटित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य (मजदूरी दर : रु0 249.83 प्रति मानव दिवस)

(राशि लाख में)

क्र. सं.	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	भौतिक लक्ष्य (हेक्टेक्टर में)	(अग्रिम कार्य)		
			मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल राशि
			36385.54	14332.74	50718.28
i	ii	iii	iv	v	vi
1	खँटी वन प्रमण्डल	100	36.386	14.332	50.718
2	गुमला वन प्रमण्डल	15	5.458	2.150	7.608
3	साठवाठ प्रमण्डल, चाईबासा	100	36.386	14.332	50.718
योग :-		215	78.230	30.814	109.044
सकल योग :-		415	162.598	62.658	225.256

प्रधान मुख्य उप संरक्षक, विकास,
ज्ञारखण्ड, राँची


वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए वृक्षारोपण योजना की अनुसूचित कार्य दर
योजना का नाम : वनभूमि पर वृक्षारोपण (1666 पौधा प्रति हेक्टर)

पौधों की संख्या प्रति हेक्टर : 1666

पौधों की दूरी : (3 मीटर x 2 मीटर)

मजदूरी दर : 249.83 प्रति मानव दिवस

क्र. सं.	कार्य का विवरण	दर	मानव दिवस	प्रति वर्ष (रुपये)	मानव	कार्य दर (रुपये)	जारी करें
1	2	3	4	5	6	7	8
1	सर्वेक्षण एवं सीमांकन	हेक्टर	3.00	749.49	0.00	749.49	
2	झाड़ी सफाई			0.00	0.00	0.00	
2.1	सामान्य झाड़ी	हेक्टर	7.00	1748.81	0.00	1748.81	
3	घेरान कार्य -			0.00			
3.1	मशीन द्वारा ट्रैच खोदायी ड्रेसिंग सहित (जल संसाधन विभाग की अनुसूचित दर सूची दिनांक 01.04.2014 से लागू का आईटम संख्या 7.1.43.1 से 9.1 प्रतिशत संबंधक लाभ घटाकर दर)	6 चेन प्रति हेक्टर	12	2997.96	11782.74	14780.70	प्रति हेक्टर अनुभानिक 6 चेन (मशीन द्वारा) के हिसाब से राशि का आवंटन किया जाएगा। स्थल विशिष्ट आवश्यकता के अनुसार मशीन, झाड़ी, मिट्टी पत्थर आदि घेरान निवारित दर के अनुरूप वन संरक्षक से अनुगोदन प्राप्त कर किया जाएगा।
4	मृदा कार्य (0.3 मी. x 0.3 मी. x 0.3 मी.) 1666 पिट प्रति हेक्टर (सरेखन एवं मृदा प्रोफाईल पिट सहित)	हेक्टर	36.50	9118.80	0.00	9118.80	
5	अंश पौधशाला कार्य रात्रि प्रहरी सहित (20% अतिरिक्त के साथ)	हेक्टर	16.50	4122.20	0.00	4122.20	30 प्रतिशत पौधा रुट-शूट विभानीय स्थायी पौधशाला से प्रति रुट-शूट 5/- की दर से क्रय कर दयूम में Presprout कर उपयोग में लाया जाएगा (5 प्रतिशत तिरिक्त रुट के साथ)
6	सामग्री (पॉलिथीन थैली, बीज, उर्वरक, खाद, रसायन, पौधशाला तथा घेरान सामग्री आदि)			0.00	0.00	3989.00	3989.00
7	मृदा एवं जल संरक्षण कार्य: कंटूर ट्रैचिंग— 90, कंटूर ट्रैच साईज 5 मीटर x 0.30 x 0.3 मीटर का खोदा जाना जिसके बीच की दूरी 2मीटर से 3मीटर हो तथा इसकी मिट्टी का नीचे ढाल पर 0.15 मीटर हट कर 0.30 मीटर की चौड़ाई में 0.15 मीटर गहरा कोङ्नी कर रखा जाना	हेक्टर	55.00	13740.65	0.00	13740.65	
8	विविध कार्य (छायांकन, प्रचार प्रसार, मुद्रण एवं सकलन आदि)			0.00	0.00	150.00	150.00
9	प्रवेश बिन्दु कार्य			9706.48	0.00	9706.48	
	योग—		130.00	42184.38	15921.74	68106.12	



 व्रद्धान मूल्य वन संरक्षक, विकास,
 झारखण्ड, राँची

वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए वृक्षारोपण योजना की अनुसूचित कार्य दर

योजना का नाम : अवकृष्ट वनों का पुनर्वास वृक्षारोपण (1000 पौधा प्रति हेक्टर)

पौधों की संख्या प्रति हेक्टर : 1000 पौधे

मजदूरी दर : 249.83 प्रति मानव दिवस

स्पेसिंग 3 मी. x 3 मी. अथवा 2 मी. x 2 मी. अथवा 3 मी. x 2 मी. (रिक्त स्थान की उपलब्धता अनुसार)

क्रमांक	वर्णन (विवरण)	पौधों की संख्या	प्रति वन का क्षेत्रफल (हेक्टर)	प्रति वन का क्षेत्रफल (मीट्रिक हेक्टर)	प्रति वन का कार्य (पौधा)	प्रति वन का कार्य (मीट्रिक हेक्टर)	प्रति वन का कार्य (रुपये)
i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii
वृक्षारोपण कार्य की विवरण							
1	सर्वेक्षण एवं सीमाकान	हेक्टर	प्रति वन का क्षेत्रफल	प्रति वन का क्षेत्रफल (मीट्रिक हेक्टर)	प्रति वन का कार्य (पौधा)	प्रति वन का कार्य (मीट्रिक हेक्टर)	प्रति वन का कार्य (रुपये)
2.1	सामान्य झाड़ी	हेक्टर	7	1748.81		1748.81	
2.2	कटबेक / कॉपसिंग, वलाइम्बर कटिंग, स्टम्प ड्रेसिंग आदि	हेक्टर	10	2498.30		2498.30	
3	घेरान कार्य			0.00			
3.1	मशीन द्वारा ट्रैंच खुदाई ड्रेसिंग सहित (जल संसाधन विभाग की अनुसूचित दर सूची दिनांक-01.04.2014 से लागू का आईटम सं0 7.1.43.1 से 9.1 प्रतिशत संवेदक लाभ घटाकर दर)	6 चेन परि हेक्टर	12	2997.96	11782.74	14780.70	प्रति हेक्टर अनुमानिक 6 चेन (मशीन द्वारा) के हिसाब से राशि का आवंटन किया जाएगा। स्थल विशिष्ट आवश्यकता के अनुसार मशीन, झाड़ी, मिट्टी पथर आदि घेरान निर्धारित दर के अनुरूप वन संरक्षक से अनुमोदन प्राप्त कर किया जाएगा।
4	मृदा कार्य (0.3 मी. X 0.3 मी. X 0.3 मी.) 0.027 क्यूबिमी 1000 पीट प्रति हेक्टर (सरेखन एवं मृदा प्रोफाइल पिट सहित)	हेक्टर	22	5496.26		5496.26	
5	मृदा एवं जल संरक्षण-गली स्ट्रिंग/सिल्ट रिटेनेशन डेम/कंटूर आदि (आवश्यकता अनुसार)	हेक्टर	45	11242.35		11242.35	
6	अंश पौधशाला कार्य रात्री प्रहरी सहित	हेक्टर	10	2498.30		2498.30	30 प्रतिशत पौधा रुट-जूट विभागीय स्थायी पौधशाला से प्रति रुट-जूट ५/- की दर से क्रय कर दयूब में Presprout कर उपयोग में लाया जाएगा (5 प्रतिशत तिरिक्त रुट के साथ)
7	सामग्री (पॉलिथीन थैली, बीज, उर्वरक, खाद, रसायन, बिट्टी पुकाल, पौधशाला तथा घेरान सामग्री आदि)	हेक्टर		0.00	2400.00	2400.00	
8	विविध कार्य (छायांकन, साइन बोर्ड, प्रचार प्रसार, मुद्रण एवं संकलन आदि)	हेक्टर		0.00	150.00	150.00	
	प्रधान बिन्दु कार्य	हेक्टर		9154.07	0.00	9154.07	
	योग :-		109.00	36385.54	14332.74	50718.28	

प्रधान मुख्य काम सरकार, विकास,
जारखण्ड, राँची

वित्तीय वर्ष 2019-20 में कार्यान्वित की जानेवाली "अधिरक्षित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं गृ-संरक्षण" योजना (जनजातीय सेत्र व्याप्तियोजना) के अन्तर्गत वनभूमि पर वृक्षारोपण (1666 पौधा प्रति हेक्टर) का अधिगम कार्य का स्थल विवरणी।

क्र० सं०	जिला का नाम	प्रमण्डल का नाम	वन प्रदेश का नाम	प्रखण्ड का नाम	धाना/ धाना नं०	स्थल/ ग्राम का नाम	जीवविभाग को-ऑपरेटर	खांट संख्या	रक्वा (हेक्टर में)
i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii	ix	x
1	जूँड़ी जूँड़ी	जूँड़ी वन प्रमण्डल, जूँड़ी	तमाङ वनरोपण प्रस्त्रे	तमाङ सानाहातू	तमाङ-198 सोनाहातू-69	विराग्व तुलमी	N 23° 3'53.54" E 85° 43'55.34"	3491	40
2	लोहरदगा	लोहरदगा वन प्रमण्डल, लोहरदगा	सेन्हा	सेन्हा-161	पारही पीठपहा	योग :-	247, 954, 974, 1095, 1130, 1150	35	25
3	चाईबासा	सामाजिक वानियों प्रमण्डल, चाईबासा	साठव० प्रस्त्रे, चक्रधरसूर	सरायकेला सरायकेला-166	सरेंगदा पदमपुर	N 22° 48'59.6" E 085° 56'38"	IP (Serengda) 1 (Padampur)	1391, 976	100
सकल योग :-									
									180

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
बृहारखण्ड, रैची।

वित्तीय वर्ष 2019-20 में कार्यान्वयन की जानेवाली “अधिसूचित वनमूमि पर वृक्षारोपण एवं गृ-संरक्षण” योजना (जनजातीय क्षेत्र उपयोजना) के अन्तर्गत अवकृष्ट वनों का पुनर्वास (1000 पौधा प्रति हेक्टेक्टर) का अग्रिम कार्य का स्थल विवरणी।

- 10 -

100

प्रधान पुस्त्य वन संरक्षक, विकास
ज्ञारथण्ड, राँची।



आवंटन आदेश

आरण्ड बरकार

वार्षिक वित्तीय वर्ष 2019-20 में व्यव हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्षे के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है।

पत्र संख्या - 01/YB-16/2019/995

दिनांक -

18-Oct-2

क्रमांक	विषय कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 19 240601796580103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA	67394	RNCFOR01 NIRANJAN PRASAD DEO D.F.O KHUNTI	7,857,000.00 रुपये अठहत्तर लाख सत्तावन हजार
2	S 19 240601796580103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA	67396	LDGFOR001 VIKASH KUMAR UJJWAL DIV FOREST OFFICER	2,109,200.00 रुपये इक्सीस लाख नौ हजार दो सौ
3	S 19 240601796580103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA	67398	SGHFOR001 SRI. MAHALING (I.F.S.) D.F.O.SOCIAL FORESTRY DIV.CBSA	5,747,800.00 रुपये सत्तावन लाख सैतालीस हजार आठ सौ


15,714,000.00

योग:

क्रमिक योग:

रुपये एक करोड़ सत्तावन लाख चौदह हजार

(SRI VIRENDER SINGH GAUR IFS)
PCCF, DEV.JHARKHAND RANCHI

क्रमांक	दिपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्यवन पदा.	आवंटित राशि
4	S 19 240601796580103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भूमि 03 - प्रशासनिक व्यव State Scheme	67401	GMLFOR001 SRIKANT D.F.O. GUMLA	545,800.00
				
5	S 19 240601796580323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यव 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme	67813	RNCFOR001 NIRANJAN PRASAD DEO D.D.O. KHUNTI	3,025,400.00
				
6	S 19 240601796580323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यव 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme	67816	LDGFOR001 VIKASH KUMAR UJJWAL DIV.FOREST OFFICER	796,100.00
				

योगा-

क्रमिक सूचा

रुपये दो करोड़ हृषकयासी हजार तीन सौ

4,367,300.00

20,081,300.00


(SRI VIKRAM SINGH GAUR IFS)

क्रमांक	विषय कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आदंदित राशि
7	S 19 240601796580323 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA	67819	GMLFOR001 SRIKANT D.F.O. GUMLA	215,000.00 रुपये दो लाख पंद्रह हजार
8	S 19 240601796580323 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA	67825	SGHFOR001 SRI. MAHALING (I.F.S.) D.P.O. SOCIAL FORESTRY DIV.CBSA	2,229,300.00 रुपये बाव्हस लाख उन्तीस हजार तीन सौ
योग:				2,444,300.00
क्रमिक योग:	रुपये दो करोड पच्चीस लाख पच्चीस हजार छ. सौ			22,525,600.00

(SRI VIKRAM SINGH GAUR IFS)
PCCF DEV.JHARKHAND RANCHI